1.	योजना का नाम	**चर्म प्रशिक्षण**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग को बढावा देने एवं चर्म दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार, नई डिजाइन के उत्पाद तैयार कराने एवं स्वयं का रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अंतर्गत चर्म रंगाई, नागरा जूती, लेदर गुड्स एवं लेदर टॉयज बनाने के नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 माह की अवधि का होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत 15 प्रशिक्षणार्थियों का बेच चर्म रंगाई एवं नागरा जूती हेतु तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच लेदर गुड्स व लेदर टॉयज हेतु निर्धारित है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1990
4.	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 से 35 वर्ष उम्र के व्यक्ति लाभान्वित होंगे। चयनित समिति को उम्र में 10 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार है।
5.	पात्रता	प्रशिक्षणार्थी को साक्षर होना आवश्यक है। 8वीं पास एवं इससे अधिक पढे लिखे प्रशिक्षणार्थियों को वरीयता दी जायेगी।
6.	देय सुविधाएं	प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रू. प्रति माह स्टाईफंड दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से 1000 रू. तक के टूलकिट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।
7.	आवेदन का तरीका	आवेदक को प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण अंकित करते हुए संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जाये	संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	फोटो,मार्कशीट/टीसी/राशनकार्ड/पहचान पत्र की प्रति
10.	सम्पर्क सूत्र	महाप्रबन्धक, जि.उ.के.
11.	निर्धारित समय–सीमा	टाईममैट्रिक्स के अनुसार
12.	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	संबंधित महाप्रबन्धक, जि.उ.के.
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	सादा कागज

	शिकायत का समाधान होने की समय–सीमा	30 दिन
13.	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	सादा कागज
	शिकायत का समाधान होने की समय–सीमा	45 दिन
14.	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी	नगद/चैक द्वारा
15.	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	बैंक मेनेजर
16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	बैंक से संपर्क करके
17.	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	नहीं
	यदि हां, तो वेबसाईट का पता	नहीं